रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2143] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2016/भाद्र 10, 1938
No. 2143] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2016/BHADRA 10, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

का.आ. 2832(अ).— केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1520(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना को उन बातों के सिवाय, जिसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को अधिक्रांत करते हुए, प्रस्तावित प्रस्ताव में अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कृषि क्षेत्र में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की दरों का प्रारूप प्रस्ताव उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, जो उक्त प्रारूप प्रस्ताव के सबंध में इस प्रकार उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, सचिव, श्रम और नियोजन मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

मजदूरी की संशोधित न्यूनतम दरों में निम्नलिखित शामिल होगा –

(क) इसके साथ उपाबद्ध अनुसची के भाग- 1 के स्तंभ (2), (3) और (4) में दी गई तथा उसी स्तंभ (1) में यथा निर्दिष्ट कृषि में रोजगार में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्ग को देय मजदूरी की मूल दरें ; और

(ख) कर्मकारों को अलग-अलग प्रवर्गों के लिए, उक्त अनुसूची के भाग-2 में स्तंभ (2), (3) और (4) में दी गई दरों पर एक विशेष भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनीय महंगाई भत्ता कहा गया है) । परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के प्रत्येक वर्ष क्रमशः 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छमाही की पूर्ववर्ती अवधि के लिए कृषि कर्मकारों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) के आधार पर 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को शुरू होने वाले प्रत्येक छह माह के अंतराल में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वार समायोजित किया जाएगा ।

अनुसूची

भाग-1

कर्मचारियों के प्रवर्ग	न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें		
	क्षेत्र-क	क्षेत्र-ख	क्षेत्र-ग
(1)	(2)	(3)	(4)
अकुशल	रुपए	रुपए	रुपए
बेलदार, काफ बाय, कैटल मैन, चौकीदार, क्लीनर (मोटर शेड, ट्रैक्टर, कैटल यार्ड, एम.टी.) खुले चारे को एकत्र करना, डेरी कुली, डेरी मैन, डिसमेंटलिंग स्टाक, नाई, चालक (बैलगाड़ी, खच्चर) चरवाहा, हेल्पर (भंडार-मजदूर), मजदूर (बायलर, कैटल यार्ड, कृषि, साधारण माल उतारना तथा चढ़ाना, बंडल बनाना, उर्वरक-ठेला गाड़ी चलाना, फसल कटाई, विविध बीज डालना, बुआई करना, छप्पर डालना, रोपण कार्य, निराई करना, माली, मजदूर (आरपोर्टकल्चरिस्ट), कंपोस्ट, डेरी की सूखी घास उठाना, सिंचाई, गोबर, गठ्ठर बनाना, दूध वाला कमरा, राशन का कमरा, भंडार, मलेरिया उन्मूलन, एम.आर.), मैंसेंजर (कार्यालय), चपरासी, साईस, टाइंग तथा गांठों को उठाना, सफाई कर्मचारी, गांठे तोलना व ले जाना, वज़न तोलने वाला (गांठे, पाल्ली), पानी वाला, गौशाला वाला, ट्राली मैन, ट्राली मैन अकुशल कार्य करने वाले की कोई भी अन्य श्रेणी चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो ।	333.00	303.00	300.00
अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक			
सहायक (चौधरी), परिचर, (बुल कालविंग लाइन्स, भूसी-चोकर काटने वाला, होस्टल ड्राई स्टांक, अनाज क्रशर, पंप, सड़क लाइन, गौशाला, यार्ड स्टाक), सहायक- नलसाज, परिचर, भिश्ती, ब्रांडर, बुलमैन, मक्खन वाला, गाड़ीवान, मोची, हल चलाने वाला, दफ्तरी, हरकारा, धोबी, नाई, फायरमैन, ग्वाला, हैमर मैन, हैल्पर (लुहार), हैल्पर, जमादार (स्टैंड), जमादार, खलासी, माली वरिष्ठ, मेट/मिस्त्री, मजदूर (शिक्षित), नालबंद, आयल मैन, हल वाहक, टाल बनाने वाला, पर्यवेक्षक, छप्पर बनाने वाला, वाल्वमैन, वाल्व मैन (वरिष्ठ), टिन केबल फिट करने वाले की कोई भी अन्य श्रेणी चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो ।	364.00	335.00	307.00
कुशल			
आर्ट्रिफिशियल (वर्ग-2, 3, 4), लुहार, लुहार (वर्ग-2), बायलर मैन, बढ़ई, बढ़ई (वर्ग-2), बढ़ई-सह-लुहार, चौधरी, चालक, चालक (इंजिन ट्रैक्टर, एम.टी.मोटर), इलैक्ट्रीशियन, फिटर, मैसन, मैसन (वर्ग-2), मशीन हैड (वर्ग-2, 3, 4), मशीन मैन, मेट ग्रेड-1 (वरिष्ठ), मैकेनिक, मिल्क राइटर, मिस्त्री (प्रमुख), मोल्डर, मस्टर राईटर, आपरेटर (टयूबवैल), पेंटर, प्लंबर, वैल्डर, अपहोल्स्टरर, वायरमैन, कुळ प्रकृति की अन्य श्रेणियां चाहे उनको किसी भी नाम से क्यों न जाना जाता हो ।	395.00	364.00	334.00
उच्च कुशल			
आर्टिफिशियर वर्ग 1, लुहार वर्ग 1, बढ़ई वर्ग 1,मशीन हैंड वर्ग 1, मैसन वर्ग 1, मैकेनिक (वरिष्ठ), उच्च कुशल प्रकृति की अन्य श्रेणियां चाहे उनको किसी भी नाम से क्यों न जाना जाता हो ।	438.00	407.00	364.00

लिपिकीय			
सहायक (फार्म), सहायक (कैशियर), लिपिक, मुंशी, रजिस्टर कीपर, स्टोर कीपर, टाइप-कीपर, टंकक, लिपिकीय प्रकृति की अन्य श्रेणियां चाहे उनको किसी भी नाम से क्यों न जाना जाता हो ।	395.00	364.00	334.00

भाग 2

कर्मचारियों के प्रवर्ग	**जनवरी-जून, 2016 के लिए, प्रत्येक अंक की वृद्धि के लिए या 271 से आगे परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दर जिसे औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (मूल वर्ष 2001=100) है ।**		
	क्षेत्र 'क'	**क्षेत्र 'ख'**	**क्षेत्र 'ग'**
1. अकुशल	1.22	1.11	1.10
2. अर्ध-कुशल/अकुशल-पर्यवेक्षकीय	1.34	1.23	1.13
3. कुशल और लिपिकीय	1.45	1.34	1.23
4. अत्यधिक कुशल	1.61	1.50	1.34

भाग 3

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

(क) इस अधिसूचना की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सभी स्थान क्रमशः क्षेत्र "क", और क्षेत्र "ख" में सम्मिलित होंगे और जिसके अंतर्गत कोई नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड या किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति की सीमा से 15 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले स्थान भी है और क्षेत्र "ग" में वे अन्य सभी स्थान सम्मिलित होंगे जिनका अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया है और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) का विस्तार है । वित्त मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता के भुगतान के प्रयोजन के लिए समय-समय पर जोड़े गए स्थानों को इस प्रारूप प्रस्ताव की अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से जोड़ा गया माना जाएगा ।

(ख) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर उपर्युक्त नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम है जिसके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है, उन क्षेत्रों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियत मजदूरी की दर इस अधिसूचना के अधीन संदेय मजदूरी की न्यूनतम दर मानी जाएगी ।

(ग) (क) **"अकुशल कार्य"** से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिस कार्य के साधारण प्रचालन में कम या कौशल या अनुभव की अपेक्षा अंतर्वलित नहीं है ।

(ख) **"अर्धकुशल कार्य"** से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कुछ सीमा तक अनुभव के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है तथा किसी कुशल कर्मचारी की पर्यवेक्षकीय या मार्गनिर्देशन के अधीन कार्य पालन करने में सक्षम है और जिसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी है ।

(ग) **"कुशल कार्य"** से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है और ऐसा कार्यपालन जिसमें पहल और निर्णय के लिए आवश्यकता होती है ।

(घ) **"अत्यधिक कुशल कार्य"** से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें पूर्णता की कोई डिग्री और कतिपय कार्यों के कार्य निष्पादन पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है जिसके अंतर्गत गहन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय युक्तियुक्त अवधि के लिए व्यवहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित लिपिकीय कार्य है और किसी कर्मकार से इन कार्यों के निष्पादन में अंतर्वलित कोई निर्णय या विनिश्चय के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व को संभालने की भी अपेक्षा है ।

(घ) मजदूरी की न्यूनतम दरों में विश्राम के साप्ताहिक दिन की मजदूरी शामिल है ।

(ङ) इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

(च) नि:शक्त व्यक्तियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें वहीं होंगी, जिनका संदाय समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों को किया जाता है।

(छ) स्त्री, पुरूष और उभयलिंगी कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए, मजदूरी की समान दरों के लिए हकदार होंगे।

(ज) मजदूरी की न्यूनतम दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दोनों से मिलकर न्यूनतम मजदूरी की दर बनेगी जिसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन लागू किया जाएगा।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

पी.पी. मित्रा, प्रधान श्रम और नियोजन सलाहकार

उपाबंध

क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्षेत्र - "अ"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलेक्स	(नगर निगम)
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	(यूए)
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत्त मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	(नगर निगम)
नवी मुंबई	(यूए)	पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "आ"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर 1 (यूए)		पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-छावनी	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवंतपुरम्	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)

कोयम्बटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)		
बृहत्त विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)		
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुंटूर	(यूए)	पंचकुला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 : क्षेत्र "इ" ऐसे सभी क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, जो इस सूची में वर्णित नहीं है किंतु जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है ।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी समूह अभिप्रेत है ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2016

S.O. 2832(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government after consulting the Advisory Board hereby makes a draft proposal to revise the rates of wages payable to the employees engaged in the employment of Agriculture as specified in the Schedule as mentioned hereinafter in the draft proposal in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1520(E), dated the 20th October, 2005, except as respects things done or omitted to be done, before such supersession, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft proposal shall be taken into consideration after expiry of two months from the date on which copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public.

Any objections or suggestions, which may be received from any person or organisation with respect to the said draft proposal within the time frame stipulated above, shall be considered by the Central Government.

The objections and suggestions shall be addressed to the Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

Draft Proposal

The revised minimum rates of wages shall consist of.-

(a) basic rates of wages as set out in columns (2), (3) and (4) of Part I of the Schedule mentioned hereunder and payable to the categories of employees employed in the employment in Agriculture as specified in column (1) thereof; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) in columns (2), (3) and (4) of Part II of the Schedule for the respective categories of workers. The Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of every six months commencing on the 1st October and

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

का.आ. 2833(अ).— केंद्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् प्रारूप प्रस्ताव में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1286(अ), तारीख 20 मई, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, जिप्सम खानों, बैराइट खानों, बाक्साइट खानों, मैग्नीज खानों, चीनी मिट्टी की खानों, कैनाइट खानों, तांबा खानों, मृत्तिका खानों, मैगनेसाईट खानों, श्वेत मिट्टी खानों, पत्थर खानों, स्टिएटाइट खानों (जिनके अंतर्गत सेलखड़ी और टेल्क का उत्पादन करने वाली खानें भी हैं), आकरेव खानों, एस्बेस्टास खानों, अग्नि सह मिट्टी खानों, क्रोमाइट की खानों, कार्टीजाइट खानों, क्वाट्र्ज खानों, सिलिका खानों, ग्रेफाइट खानों, फेल्सपर खानों, लैटेराइट खानों, डोलोमाइट खानों, रेडोक्साइड खानों, वोलफ्राम खानों, लोह् अयस्क खानों, ग्रेनाइट खानों, राक फास्फेट खानों, हेमेटाइट खानों, संगमरमर और कैलसाइट खानों, यूरेनियम खानों, अभ्रक खानों, लिग्नाइट खानों, बजरी खानों, स्लेट खानों और मैगनेटाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों को इसमें इसके पश्चात् यथा उल्लिखित अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित करने और उनका संदाय करने का प्रस्ताव करती है और उन सभी व्यक्तियों को, जिनको उसके प्रभावित होने की संभावना है, सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप प्रस्ताव पर, उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, दो मास के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसे किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन से ऊपर नियत समय-सीमा के भीतर प्राप्त हों, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली -110001 को भेजे जाएंगे ।

प्रारूप प्रस्ताव

प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी दरें—

(क) इसमें नीचे उल्लिखित अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में यथा उपवर्णित मजदूरी की मूल दरों; और

(ख) अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) और उसके भाग 1 और भाग 2 के स्तंभ (2) में उल्लिखित खानों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय विशेष भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कहा गया है) से मिलकर बनेंगी । परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता क्रमश: प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकार (आधार 2001=100) के लिए औसत उपभोक्ता कीमत सूचकांक संख्यांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष के 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक छह मास के अंतराल पर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर पर और रीति में समायोजित किया जाएगा । कर्मकारों का वर्गीकरण वह होगा, जिसका निम्नानुसार सूची के भाग 3 में उल्लेख किया गया है :

अनुसूची

भाग 1

क्र.सं.	कर्मचारियों का प्रवर्ग	प्रतिदिन मूल मजदूरी की न्यूनतम दर (रुपए में)	
		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकुशल	350.00	437.00
2.	अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	437.00	523.00
3.	कुशल/लिपिकीय	523.00	610.00
4.	अति कुशल	610.00	683.00

भाग 2

क्र.सं.	कर्मचारियों का प्रवर्ग	271 से परे बढ़ोत्तरी या गिरावट के प्रत्येक बिंदु के लिए ऐसी परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर, जो जनवरी-जून, 2016 की अवधि के लिए, औद्योगिक कर्मकार (आधार वर्ष 2001=100) के लिए औसत मासिक उपभोक्ता कीमत सूचकांक संख्या है।	
		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकुशल	1.29	1.13
2.	अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	1.61	1.36
3.	कुशल/लिपिकीय	1.93	1.58
4.	अति कुशल	2.25	1.80

भाग 3

कर्मकारों का वर्गीकरण

अकुशल कर्मकार

1. चौकीदार	2. क्लीनर	3. ड्रेसर/ड्रेसिंग मजदूर
4. श्रमिक	5. लोडर	6. मजदूर (महिला/पुरुष)
7. संदेश वाहक(महिला/पुरुष)	8. ट्रेमर	9. केयर टेकर (तांबा, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों को छोड़कर, जहां यह अर्द्धकुशल है)
10. कार्यालय चपरासी/चपरासी (बाक्साइट खानों को छोड़कर)	11. सफाईवाला (महिला/पुरुष)	12. वाहक
13. नंबर टेकर	14. ट्राली ट्रिपर	15. जल वाहक
16. होल कटर	17. अर्थ कटर	18. सर्वेक्षण खलासी
19. मशीनों पर कार्य न करने वाला खलासी	20. वाहक (पत्थर)	21. गाड़ीवान
22. कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)	23. ड्राइवर (खच्चर, बैल, ऊंट, गधा)	24. मशालची
25. पैट्रोल मैन	26. वाटर मैन	27. बेलदार/बेलदार(कैंटीन)
28. कुली	29. ब्रेकर (दस्ती औजार इस्तेमाल करने वाला)	30. खानसामा सहायक
31. आफिस ब्वाय	32. वाचमैन/चौकीदार	33. खदान मजदूर
34. जैलीमेकर	35. अतिभार हटाने वाला	36. रद्दी हटाने वाला मजदूर
37. अनलोडर	38. उत्खनन श्रमिक	39. बेलदार
40. कसाई	41. अटेंडर	42. कंप्रेसर अटेंडेंट
43. लारी हेल्फर	44. भूतल लोडर	45. वुडकटर
46. भूतल मुकर	47. भूमिगत मुकर	48. सहायक और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अकुशल है

अर्द्धकुशल कर्मकार (अकुशल पर्यवेक्षण)

1. भिस्ती	2. सहायक ड्रिलर	3. खनिज
4. बटलर/खानसामा	5. ब्रेकर (यांत्रिकी साधित्रों का उपयोग करने वाला)	6. क्रेच आया/आया/अप्रशिक्षित क्रेच परिचारक

7. अप्रशिक्षित मेट/खनन मेट/धातुमय खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र रहित मेट	8. आयलमैन/आयलर	9. मुख्य चौकीदार
10. सहायक (राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार)	11. टिन्डल्स	12. मुक्कदम (धातुमय बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र रहित)
13. पंप अटेंडेंट (जिप्सम, बेराइट्स और रॉक फास्फेट को छोड़कर)	14. खलासी (बुलडोजर)/पम्प खलासी/डम्पर खलासी/कंप्रेसर खलासी	15. मशीनें देखभाल करने वाला खलासी
16. क्वैरी मैन	17. क्वैरी आपरेटर	18. स्टाकर
19. स्टोर मैन	20. थैचर	21. थुम्बा मैन
22. ट्राली मैन	23. जमादार	24. बैरा (बीयरर)
25. सफेदी करने वाला	26. ब्रेक मैन	27. टोपाज
28. टोपकार	29. हैल्पर (लोको, क्रेन, ट्रक)	30. ऐज रनर
31. पैक वालर्स	32. राक वालर्स	33. जैक हैमर
34. पिलर मैन	35. बैंक्स मैन	36. कैश गार्ड
37. चैकर	38. धोबी (पुरुष/महिला)	39. फायर मैन (माइका खानों को छोड़कर, जहां यह कुशल हैं)
40. हैमर मैन	41. ग्राइंडर	42. ग्रीसर
43. माली/बागवान	44. प्वांइट्स मैन	45. अटेंडेंट
46. टेलीफोन अटेंडेंट	47. बॉयलर मैन (बिना प्रमाणपत्र वाला)	48. सहायक ब्लास्टर
49. क्रशर आपरेटर	50. लैंप कक्ष इचार्ज/अटेंडेंट	51. सैंपलर/सैंपलर बॉय
52. स्टोन कटर और ड्रेसर	53. ड्रेसर ग्रेड-II	54. सुरक्षा गार्ड (निशस्त्र/मुख्य चौकीदार)
55. सिपाही	56. मीटर रीडर	57. तांबा, क्रोमाइट तथा ग्रेफाइट खानों के केयर टेकर
58. सहायक ड्रिल प्रचालक	59. कैंटीन बॉय	60. बटलर-सह-रसोइया
61. वेंटीलेशन फैन परिचर	62. औजार तेज करने वाला	63. पिकर (पुरुष/महिला)
64. चार्ज रूम परिचर	65. सहायक मिस्त्री	66. सहायक फिटर
67. यांत्रिक सहायक	68. मेल डाक रनर	69. परिचर श्रेणी 'ग'
70. प्रयोगशाला परिचर	71. श्रमिक सिरधार	72. हलवाई
73. कैंटीन परिचर	74. सिग्नल मैन	75. डाक बॉय
76. वार्ड बॉय	77. प्रयोगशाला बॉय	78. चपरासी, केवल बाक्साइट खानों में
79. वरिष्ठ सफाईवाला	80. सुरक्षा गार्ड	81. कतरन उठाने वाला (शीयरर)
82. वास्ट कटर	83. गन-मैन	84. विस्फोटक वाहक
85. गेज कर्मकार	86. डिस्क कर्मकार	87. छंटाईकर्ता
88. माइका कटर ग्रेड- II	89. चीजलमैन	90. फॉयर क्ले प्रेस अथवा शोषक एंव परिशोधन भूमि काटनेके लिए अपेक्षित अधिभार के अलावा
91. श्रमिक दफादार	92. खान दफादार	93. मैनुअल चिल्ली ब्रेकर
94. मैनुअल ब्लास्ट/मैटल ब्रेकर		

और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अर्द्धकुशल है ।

कुशल कर्मकार

1. ऐअरविन्ह हॉलेज प्रचालक	2. ऑटो इलेक्ट्रीशियन	3. पेंटर
4. लोहार	5. दर्जी	6. कंप्रेसर आपरेटर
7. ब्लास्टर/शॉट फायरर	8. ड्राइवर	9. प्रधान रसोइया
10. चार्जमैन	11. बढ़ई	12. कंकरीट मिक्सर प्रचालक
13. कंप्रेसर परिचर	14. एयर कंप्रेसर परिचर	15. ट्रेक्टर चालक
16. वाहन चालक	17. कैमिस्ट और सहायक कैमिस्ट	18. उप-ओवरसियर (गैर-योग्ता प्राप्त)
19. ड्रिलर	20. हैंडहोल ड्रिलर	21. ड्रिल मिस्त्री
22. ड्राइवर ऑटो	23. इलेक्ट्रिशियन	24. बेतार प्रचालक सहायक फोरमैन
25. फोरमैन	26. फिटर	27. मांझी
28. इस्यूअर लोको	29. सुपर फोरमैन	30. उत्तोलक प्रचालक
31. आईएमसीई चालक	32. चालक (ड्राइवर)	33. लोको ड्राइवर
34. लोडर प्रचालक	35. लाइनमैन	36. मैकेनिक/मशीनिस्ट
37. राज	38. दाई	39. टिनकार
40. पर्यवेक्षण मिस्त्री	41. पंप परिचर केववल जिप्सम, बैराइट्स एवं रॉक फॉस्फेट में	42. पंप प्रचालक/चालक
43. खनन मेट धातुमय खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाणपत्र सहित	44. मिस्त्री	45. कुशल मजदूर
46. टर्नर	47. वरिष्ठ मैकेनिक	48. पाइप फिअर
49. पर्यवेक्षक	50. ड्राफ्ट्स मैन	51. वायर मैन
52. टिम्बर मैन/टिम्बर मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन	53. पत्थर पीसने वाला प्रचालक	54. पेराई चालक
55. मोल्डर	56. वेल्डर	57. प्रचालक
58. वर्क मिस्त्री	59. इंजन चालक	60. खनन इंजन चालक ग्रेड- II
61. इंजन वाला	62. वाल्वमैन	63. कटर
64. वाइंडिंग इंजन चालक ग्रेड-II	65. वाच एंड वार्ड प्रभारी	66. शोवल प्रचालक
67. लिम्को लोडर प्रचालक	68. सर्फेस पर्यवेक्षक	69. डोजर प्रचालक
70. कंप्रेसर ड्रिलर	71. डम्पर ट्रैक्टर प्रचालक	72. बायलर मैन (प्रमाणपत्र सहित)
73. मशीनरी परिचर	74. वातानुकूलन मिस्त्री	75. शिशुसदन (क्रेच) परिचर, केवल मैगनिसाइट, मैगनीज तथा अभ्रक खानों में
76. पावर शोवल प्रचालक	77. पावर तथा पंप हाउस प्रचालक	78. खनिक ग्रेड- I
79. ट्रेक्टर प्रचालक	80. टब की मरम्मत वाला	81. लेथ मिस्त्री
82. स्थिर इंजन परिचर	83. जेनरेटर प्रचालक	84. लोडिंग फोरमैन
85. डीजल मिस्त्री	86. फैरो-प्रिंटर एवं चेयरमैन	87. कर्षण प्रचालक
88. औषधालय परिचर	89. वर्क सकार	90. अभ्रक काटने वाला ग्रेड- I
91. ड्रेसर ग्रेड-1 अभ्रक	92. पर्यवेक्षी फायरमैन	93. फायरमैन केवल अभ्रक खानों में
94. कंप्रेसर चालक	95. पंप मैन चालक	96. पीसनहारा अभ्रक खानों में
97. सिरधार लेथमैन	98. मुक्कदम (धातुमय खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाणपत्र सहित)	99. भूविज्ञानी
100. सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)		

और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कुशल है ।

लिपिकीय कर्मकार

1. भंडार लिपिक	2. मिलान लिपिक	3. सामान जारी करने वाला
4. औजार रखने वाला	5. संगणक	6. अभिलेखपाल
7. ट्रेसर	8. फाइल लिपिक	9. पंजिका-पाल (रजिस्टर कीपर)
10. समय-पाल (टाइम-कीपर)	11. लिपिक	12. मुंशी
13. भंडार परिचर	14. टेलर लिपिक	15. टंकक
16. शस्त्रागार लिपिक	17. टेलेक्स या टेलीफोन प्रचालक	18. हिन्दी अनुवादक
19. सहायक	20. पुस्तकालयाध्यक्ष	21. सहायक शस्त्रागार लिपिक
22. स्टोर-कीपर		

और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो लिपिक है ।

अतिकुशल कर्मकार

1. कंपाउन्डर	2. ओवरसीयर	3. सर्वेक्षक
4. वाइंडिंग इंजन चालक	5. प्रचालक (भारी अर्थ मूविंग) शोवल तथा बुल-डोजर	6. प्रधान मिस्त्री
7. स्टाफ नर्स डिप्लोमा सहित	8. ड्रिल आपरेटर जैक हैमर के अलावा	9. बिजली पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाणपत्र सहित
10. भूमिगत पाली प्रभारी	11. प्रधान मैकेनिक	12. योग्यता प्राप्त और अनुभवी वेल्डर
13. मशीनी औजार मैकेनिक	14. यांत्रिकी/संयंत्र फोरमैन	15. खनन पर्यवेक्षक
16. व्यवसायिक प्रशिक्षण अनुदेशक/अध्यापक	17. प्रधान बिजली मिस्त्री	18. लेखाकार
19. आशुलिपिक 7 वर्ष की सेवा सहित	20. भंडार प्रभारी	21. पाली प्रभारी
22. पर्यवेक्षक		

और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अतिकुशल है ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) मजदूरी की न्यूनतम दरों में मूल दरें, निर्वाह भत्ते अर्थात् विशेष भत्ते का व्यय तथा आवश्यक वस्तुओं की रियायती आपूर्ति का नकद मूल्य, यदि कोई हो, सहित सभी समावेशी दरों से मिलकर बनेंगी ;

(ख) मजदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक विश्राम-दिन के लिए मजदूरी सम्मिलित है ;

(ग) न्यूनतम मजदूरी दरें, ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को भी लागू होंगी ;

(घ) न्यूनतम मजदूरी दरें नि:शक्त व्यक्तियों के लिए वही होंगी, जो समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों को संदेय हैं ;

(ङ) (क) "अकुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के संबंध में ऐसी साधारण संक्रियाएं अंतर्वलित हैं, जिनमें अल्प या कोई कौशल या अनुभव की अपेक्षा नहीं की जाती है ;

(ख) "अर्द्ध कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के संबंध में अनुभव के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता की कोई ऐसी डिग्री अंतर्वलित है जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन निष्पादन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत पर्यवेक्षण कार्य भी है ;

(ग) "कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के संबंध में अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है और जिसके निष्पादन में पहल और निर्णय की अपेक्षा की जाती है ;

(घ) "खनिक" से ऐसा कोई कर्मकार अभिप्रेत है जो किसी खान में खुदाई, बिनाई, छंटाई, क्रीजिंग, प्रसंस्करण के माध्यम से उत्खनन/निष्कर्षण और किसी खान में सीधे ही लदाई और उसके अन्य आनुषंगिक संकर्मों में अंतर्वलित है/लगा हुआ है ; और

(ङ) "अति कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसमें लंबे वर्षों तक गहन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या व्यवहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित कतिपय कार्य के निष्पादन में निपुणता और पूर्ण सक्षमता की उच्च डिग्री अपेक्षित है और किसी कर्मकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन में अंतर्वलित अपने विवेक या विनिश्चय की पूर्ण जिम्मेदारी ले ;

(च) किसी खान में या उसके संबंध में कार्यरत या नियोजित कोई व्यक्ति "भूमि के नीचे" कार्यरत या नियोजित कहा जाता है, यदि वह,—

(i) ऐसी कूपकी, जो डूब गई है या डूबने के अनुक्रम में रही है ; या

(ii) किसी ऐसे उत्खनन में, जिसका भूमि के ऊर्ध्ववर्ती भूमि के नीचे विस्तार है ; या

(iii) किसी खुले ढलाई कार्य में, जिसमें उसके उच्चतम बिंदु से उसके निम्नतम बिंदु तक मापी गई उत्खनन की गहराई छह मीटर से अधिक है, में कार्यरत है या नियोजित है ;

(छ) जहां संविदा या करार या अन्यथा के आधार पर किसी कर्मकारी की मजदूरी की विद्यमान दरें, अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां उच्चतर दरों का संरक्षण किया जाएगा और इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के रूप में माना जाएगा ;

(ज) जहां किसी क्षेत्र में पत्थर खानों के संबंध में इस अधिसूचना के अनुसार नियत न्यूनतम मजदूरी दरें, किसी खान या खदान में या किसी अन्य ठहराव के अधीन किए गए पत्थर तुड़ाई या पत्थर पीसने के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी से कम है, वहां मजदूरी की उच्चतर दर, पत्थर खानों के नियोजन में नियोजित कर्मकारों को संदेय होगी और वह मजदूरी इस अधिसूचना के अधीन नियत मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में समझी जाएगी ;

(झ) पुरुष, स्त्री और उभयलिंगी कर्मचारी वैसे ही कार्य या वैसी ही प्रकृति के संकर्मों के लिए मजदूरी की वैसी ही दरों के हकदार होंगे ;

(ञ) न्यूनतम मजदूरी दरें और परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, दोनों ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन प्रवर्तनीय होने वाली मजदूरी की न्यूनतम दरों का गठन करते हैं।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

पी.पी. मित्रा, प्रधान श्रम और नियोजन सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2016

S.O. 2833(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and clause (b) of sub- section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government after consulting the Advisory Board hereby proposes to revise the rate of wages as specified in the Schedule as mentioned hereinafter in the draft proposal and payable to the employees engaged in Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines, Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

का.आ. 2834(अ).— केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सड़कों या रनवेज़ या निर्माण कार्यों में विनिर्माण या रखरखाव जिनके अंतर्गत विद्युत, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, टेलिफोन, टेलिग्राफ और ओवरसीज़ संचार केबल और समान अन्य भूमिगत केबल कार्य, विद्युत लाइन, जल आपूर्ति लाइन और सीवेज़ पाइप लाइन हैं, के नियोजन में लगे हुए कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित करने का प्रारुप प्रस्ताव बनाती हैं, जैसा कि इसमें इसके पश्चात् प्रारुप प्रस्ताव में यथावर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, के श्रम और रोजगार मंत्रालय में भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1285(अ) तारीख 20 मई, 2009 में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, दो मास की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से या संगठन से ऊपर नियत समय सीमा के भीतर होते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली - 110001 को भेजे जा सकेंगे ;

प्रारुप प्रस्ताव

मज़दूरी की संशोधित न्यूनतम दरें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –

(क) मजदूरी की आधारभूत दरें जैसी इसमें इसके नीचे वर्णित अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (2) (3) और (4) में दी गई हैं; और

(ख) अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2), (3) और (4) में कोई विशेष भत्ता (जिसे इसे इसके पश्चात् परिवर्तनीय महंगाई भत्ता कहा गया है) और उसके भाग 1 और 2 के स्तंभ (2), (3) और (4) में वर्णित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को संदेय । परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा प्रतिवर्ष 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले प्रत्येक छह मास के अंतराल तक प्रतिवर्ष क्रमश: 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकार (आधार 2001-100) के लिए औसत उपभोगता मूल्य सूचकांक के आधार पर, उक्त् अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट दर पर और रीति में समायोजित किया जाएगा ।

अनुसूची

भाग 1 : मजदूरी की आधारभूत न्यूनतम दरें

कामगारों की श्रेणी	दैनिक न्यूनतम मजदूरी दरें (रुपये में)		
(1)	(2)	(3)	(4)
	क्षेत्र (क)	क्षेत्र (ख)	क्षेत्र (ग)
अकुशल:			
बजरी फैलाने वाला, बेलदार, बीटर महिला, बैलवुमन, चैनमैन, नाविक, बाल्टी वाला, वाहक (पत्थर), वाहक (पानी), गाड़ीवाहक, केयरटेकर (पुल), क्लीनर (क्रेन, ट्रैक, राखगर्त के लिए सिंडर), चौकीदार, कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला), दफादार,	523	437	350

ड्राइवर (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर), झंडीवाला, झंडीवाला (ब्लास्ट ट्रेन) गेट मैन, गैंगमैन, गेटिंगमैन (स्थायी पथ) हैंडलमेन, जम्पर मैन, कामिन (महिला कार्य), खलास, पुल, विद्युत, मैरीन, मोपलाह, भंडार, स्टीम रोड, शेयर, रोलर सर्वे, श्रमिक (गार्डन), मजदूर, होल कटर, लारी प्रशिक्षु, पेट्रोलमैन, चपरासी, तलाशीकर्ता, सिगनलमैन, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग), स्वीपर, टाल बाय, टाइल टर्नर, ट्राली मैन, वक्स कन्ट्रोलर, वाल्वमैन, वाचमैन, सफेदी वाला, वुडरमैन, वुडरओमैन, बोरीमैन, कोलमैन, कंडेंसर, परिचर, घास काटने वाला, मुच्छर जमादार, कन्डेन्सर परिचर, शंटर और अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं।			
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय:			
बेलचेवाला, भिश्ती, भिश्ती (मुशक सहित), नाववाला (प्रधान), भंजक, भंजक (पत्थर, चट्टान, चट्टान पत्थर, प्रस्तर धातु, बेंत बुनने वाला, चैनमैन (प्रधान), चारपाई कसने वाला, जांच पड़ताल कर्ता, चौकीदार (प्रधान), सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार), क्रेकर, दफ्तरी, डालीमैन, सहायक, ड्रिलर, चालक (स्किन), उत्खनक, फैरोमैन, फायरमैन, फायरमैन (ईंटों का भट्टा, स्टीम रोड रोलर) गेटकीपर, घरामी थेचर, शीशेवाला, ग्रेटर, ग्रीसर एवं फायरमैन, ग्राइंडर, हथोड़े वाला, सहायक (कारीगर), सहायक (आराकश), जमादार, की मैन, खलासी (प्रधान सर्वेक्षक, रिवटर्स मोपलाह गैंग, पर्यवेक्षी), श्रमिक (चट्टानकर्तन), लश्कर, माली, (प्रधान), मैट, मैट (लोहार, सड़क, काष्ठकार), इंजिन चालक और/या फीडर, फिटर, गैंग, खलासी, मजदूर राज, स्थायी पथ, पम्प ड्राइवर, टर्नर), मजदूर (भारी वजन), चार्जमैन, मिस्त्री (प्रधान), मुकादम, रात्रिगार्ड, रनर (पोस्ट डाक), तेलवाला, खदानकार, खदान प्रचालक, स्टोन मैन, भंडार वाला, थेचर, भंडार वाले और बायलर मैन, थुम्बामैन (स्पेडकर्मी), टिंडलस, ट्रालीमैन (प्रधान, मोटर), फिटर (सहायक, अर्द्ध कुशल), जमादार (अर्द्धकुशल) मेट (पत्थर), पम्प अटेंडेंट, वाहक, ब्रेकमैन, क्रोल्डरमैन, रसोइया, डांडी, फराश, हैक्सामैन, सहायक (लोको, क्रेन/ट्रक) कसाब, खलासी (संरचना), प्रयोगशाला परिचर, मांझी (नाववाला), मसालची पी.एम.मेट्स, प्वाइंटस मैन सेनकम्मी, टोपाज, तोपकार (बड़े पत्थर तोड़ने वाला), ट्राली जमादार, विंचमैन, हाजिरी लगाने वाला, सहायक वायर मैन और अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं।	579	494	410
कुशल			
सहायक मिस्त्री, आर्मेचर वाइंडर श्रेणी II और III, भण्डारी, लोहार, लोहार (चयन श्रेणी, ग्रेड- II, III वर्ग II और III) बायलरमैन, बायरलरमैन श्रेणी II, III, बायलर फोरमैन श्रेणी II, कार्य (सहायक), ईंट बिछाने वाला, ईंट बिछानेवाला (चयन श्रेणी II), ब्लास्टर, बढ़ई, बढ़ई (चयन ग्रेड, ग्रेड II व III, वर्ग I व III) सहायक बी.आई.एम.रोड), केबिनेट बनाने वाला,सुरक्षा गार्ड (शस्त्र सहित) केनमैन, स्लोटैक्स, कटर बनाने वाला चार्जमैन, श्रेणी II और III, काष्ठकार (साधारण), जांच-पड़तालकर्ता (कनिष्ठ), चिक बनाने वाला, चिकवाला (कनिष्ठ) कंक्रीट मिश्रण	637	579	494

मिश्रक, कंक्रीट मिश्रक प्रचालक, मोची, कोर मेकर, चालक, चालक मोटर वाहन, मोटर वाहन चयन श्रेणी, मोटर लारी, मोटर लारी श्रेणी II, लारी गेड II, डीजल इंजिन, डीजल इंजन श्रेणी II, यांत्रिक रोड रोलर, आई.सी और सीमेन्ट मिश्रक आदि रोड़ रोलर, रोड रोलर चालक श्रेणी II चालक (इंजन स्थिर, स्टोन, क्रशर, ट्रैक्टर/बुलडोजर, स्टीम रोड रोलर, जल पम्प, यांत्रिक सहायक, रोड रोलर, यांत्रिक स्टीम और क्रेन, बुल डोजर सहित, ट्रैक्टर यांत्रिक, परिवहन, इंजन, स्थिर और रोड रोलर, बायलर परिचर इंजन), प्रचालक (स्टोन क्रेशर यांत्रिक), डिस्टैम्पुरर, बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री (श्रेणी II, वर्ग II, और वर्ग III), फिटर, फिटर (चयन श्रेणी, श्रेणी II, व III) (वर्ग II व III, सहायक, पाइप, वर्ग II, लाइन वर्ग II, पाइपलाइन एंडिंग बार्स फॉर री-इंफोर्समेंट कम -मैकेनिक, यांत्रिक और-नलसाज), घरामी (प्रधान), ग्लेजियर, विस्फोटन के लिए छद्रि ड्रिलर, जॉयनर, जॉयनर केबल, केबल श्रेणी, II) लाइनमैन (ग्रेड II, III, उच्च दाब/कम दाब) राजमिस्त्री, राज मिस्त्री (चयन श्रेणी, श्रेणी II, III, और वर्ग ख मिस्त्री), स्टोन, (स्टोन वर्ग II, ईंट का काम, पत्थर का कार्य), ईंट बिछाने वाला, टाइल फ्लोरिंग, बी.आई.एम., मुक्कदम (प्रधान), पत्थर कर्तन, साधारण मिस्त्री, मैकेनिक, यांत्रिक (वर्ग II, वातानुकूलन, वातानुकूलन, श्रेणी II, डीजल श्रेणी II, रोड रोलर श्रेणी II, सहायक, रेडियो) राजमिस्त्री (घरमी), मिस्त्री श्रेणी II, वातानुकूलन श्रेणी II, स्थायी पथ, सर्वेक्षण, संतराश कार्य) राजमिस्त्री वर्ग क, मोल्डर, मोल्डर (ईंट, टाइल), रंगपेन्टर, रंगपेन्टर (चयन श्रेणी, ग्रेड II, और III, वर्ग II, सहायक लाटर और पॉलिशर, पॉलिशर रफ (प्लास्टरकर्त्ता) (राजमिस्त्री श्रेणी II), नलसाज, नलसाज (चयन श्रेणी, वर्ग II सहायक लॉटर और पॉलिशर पॉलिशर, रफ) प्लास्टरकर्ता, प्लास्टरकर्ता (राजमिस्त्री ग्रेड II), नलसाज (चयन ग्रेड, वर्ग- II) सहायक वरिष्ठ, कनिष्ठ, मिस्त्री, श्रेणी II) नलसाज मिस्त्री, नलसाज-सह-फिटर, पॉलिशगर पॉलिशगर(फर्श), पम्प चालक, पम्प चालक (चयन श्रेणी), श्रेणी II और III, वर्ग, II), पंपचालक चयन श्रेणी, पी ई, चालक, पंपवाला, पम्प वाला,(सहायक) नलसाज पॉलिशकर (स्प्रे सहित) श्रेणी II, रतनमैन, रिविट कटर (सहायक) रिविटर, रिविटर (कटर), सड़क निरीक्षक श्रेणी II, रेलवे प्लेट लैयर, रोड बेन्डर, आराकश, आराकश (चयन श्रेणी वर्ग II), सरंग, संरग पाइल ड्राइविंग पैन्टूम्स बायलर सहित, शेपमैन, पारी प्रभारी, स्प्रे मैन, स्प्रे मैन (रोड), स्टोनकटर, स्टोनकटर (चयन ग्रेड, ग्रेड II, वर्ग II) स्टोन चिसलर, स्टोन चिसलर (वर्ग II), पत्थर विस्फोटकर्ता, उप- ओवरसियर (अनर्हक) सर्वेक्षक, सर्वेक्षक (सहायक), दर्जी, दर्जी (अपहोलस्ट्री)] ट्रांस्प्रेयर तारमैन, लाइनमैन, टाइलर वर्ग II, दीवार (फर्श, छते), टाइलर (चयन श्रेणी), टीनकार, टीनकार (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III, वर्ग II) ठठेरा, ट्रेलर्स, टर्नर, सोफासाज, सोफासाज(श्रेणी II और III) रंगसाज स्प्रे (वर्ग II), लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला चयन श्रेणी, लकड़ी काटने वाला श्रेणी II, वर्क सिरकार, झलाईगर, गैस झलाईगर, झलाईगर, (वर्ग II,) पुल कार्य) कूप निमज्जक, सफेदी वाला, सफेदीवाला (चयन श्रेणी वर्ग II), वायरमैन, वायरमैन (श्रेणी, II और III, यांत्रिक, विद्युत) वाइट वाशिंग एंड कलर वाशिंग मैन,			

वातिक औजार प्रचालक, प्रचालक (फिटर), बोरमैन,वेधक, छलिाईगार छलिाईगार एवं पिसाईगार, रसोइया (प्रधान) ड्रिलर, ड्रिलर (कूप वेधन), चालक (लोको/ट्रक), बिजली मिस्त्री (सहायक), यांत्रिक (नलकूप), मिस्त्री (स्टेल, ट्यूब-वेल, टेलीफोन), मीटर रीडर, मौसम प्रेक्षक, नावधानी प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प, शेल्प, संपवीडिक, ग्रेन, डौरिक, डीजल इंजन, डोजर, ड्रेगलिंग, ड्रिल डम्पर, उत्खनक, फोर्क, लिप्ट जनित्र, ग्रेडर, जैक हैम्पर और पेमेन्ट ब्रेकरा लोडर, पम्प, पाईल चालन, स्क्रेपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवैल, ट्रैक्टर, वाइब्रेटर, वेटबैचर, रेल गार्ड, रिपेयरर (बैटरी), शार्पर/स्लॉरट, स्प्रेयर (एशालट) स्टेशन मास्टर, सर्वेक्षक (सिल्ट), ट्रेड्समैन, ट्रेन परीक्षक, टर्नर/मिलर, टायर बल्केनाइजर, कुशल प्रकृति की कोई अन्य श्रेणियां चाहे उनके नाम कुछ भी हों।			
लिपिकीय			
एम.सी. लिपिक, मुंशी (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), भंडार लिपिक (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), भंडार जारीकर्ता, भंडार रक्षक भंडार, रक्षक वर्ग I और II (मैट्रिकुलेट), मिलान लिपिक, समय पाल, समयपाल, (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), बुक कीपर, कार्य मुंशी, कार्य मुंशी, (अधीनस्थ) लेखालिपिक, लिपिक, संगणक, टेलीफोन प्रचालक, टंकक, अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए जो कि लिपिकीय प्रकृति के हों।	637	579	494
अत्यधिक कुशल			
आर्मेचर वाईंडर श्रेणी I, लौहकार श्रेणी I और वर्ग I, बॉयलरमेन श्रेणी I, बॉयलरमैन फोरमेन श्रेणी I, ईंट बिछाने वाला वर्ग I, केबल संयोजक श्रेणी I, काष्ठकार श्रेणीI, और वर्ग I, सेलो कटर और सजावटकार, चार्जमैन वर्ग I, जांच पड़तालकर्ता (ज्येष्ठ), चालक लारी श्रेणी ग्रेड- I, मोटर लारी श्रेणी I, मोटर वाहन वर्ग I और डीजल इंजिन श्रेणी I, रोडरोलर श्रेणी I, पम्प वर्ग विद्युतकर्मी श्रेणी I और वर्ग I /श्रेणी I, फिटर (श्रेणीIऔर वर्ग I), पाइप वर्ग I (प्रधान), फोरमैन, (सहायक) लाइनमैन श्रेणी I, राज (कुशल श्रेणीIवर्ग I), मास्ट रिंग, मैकेनिक वर्गIऔर वर्ग II, मैकेनिक (डीजल) श्रेणी I और रोडरोलर श्रेणी I, वातानुकूलन श्रेणी I /वर्ग I /मिस्त्री श्रेणी I, मिस्त्री (वातानुकूलन श्रेणी I), ओवरसियर, ओवर सियर (ज्येष्ठ और कनिष्ठ) रंगसाज श्रेणी I, वर्ग I, स्प्रे), प्लास्टरकर्ता (राज) वर्ग I, नलसाज (प्रधान वर्ग I) मिस्त्री श्रेणी I, पॉलिशकर्ता (स्प्रे सहित) वर्ग I, सड़क निरीक्षक वर्ग I, आराकश श्रेणी I, स्टोन कटर वर्ग I, स्टोन चिलनर श्रेणी I, स्टोन मिस्त्री श्रेणी I, उप ओवरसियर (योग्यता प्राप्त), टाइलर वर्ग I, टीनकार श्रेणी I, वर्ग I, सोफासाज श्रेणी I, वार्निशकार वर्ग I, वेल्डर एवं फिटर और वातानुकूलन, मैकेनिक झलाईकार (गैस) वर्ग I, सफेदी वाला वर्ग I, वायरमैन श्रेणी I, वर्ग I, काष्ठ काटनेवाला वर्ग I, घिसाईकार (औजार) श्रेणी I, प्रचालक (बैचिंग प्लांट) श्रेणी I, क्लैम्प शैल श्रेणी I, काम्प्रैसर श्रेणी I, क्रैन श्रेणी I, डीजल इंजिन श्रेणी I, डोजर ग्रेड I, ड्रेगलाइन वर्ग I, ड्रिल श्रेणी I, डम्पर श्रेणी I, उत्खनक श्रेणी I, फोर्क लिफ्ट श्रेणी I, जनित्र श्रेणी I, ग्रेडर श्रेणी I, लीडर श्रेणी I, पाइल ड्राइविंग श्रेणी I, पम्प	693	637	579

श्रेणी, स्क्रेपर श्रेणी I, स्क्रीनिंग संयंत्र श्रेणी I, शॉवल श्रेणी I, शावल और ड्रेगलाइन, ट्रैक्टर श्रेणी I, वाइब्रेटर श्रेणी I, रिगर श्रेणी I, रिगर श्रेणी II, चार्पर/स्लेटर श्रेणी I, शॉवल और ड्रेगलाइन, ट्रेक्टर श्रेणी I, ट्रेड्समैन वर्ग I, टर्नर/मिलर श्रेणी I, टायर वॉलकेनाइजर श्रेणी I, कार्य (सहायक) श्रेणी I, कोई अन्य प्रवर्ग जो अत्यधिक कुशल प्रवृत्ति के हों, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जायें।			

भाग II

कामगारों की श्रेणियाँ	परिवर्ती मंहगाई भत्ते की दर, जो 271 से अधिक प्रत्येक अंक के उछाल या गिरावट के लिए जनवरी-जून, 2016 की अवधि के औद्योगिक कामगारों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष (2001=100) का औसत है।		
	क्षेत्र 'क'	क्षेत्र 'ख'	क्षेत्र 'ग'
(1)	(2)	(3)	(4)
1. अकुशल	1.93	1.61	1.29
2. अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	2.14	1.82	1.51
3. कुशल व लिपिकीय	2.35	2.14	1.82
4. अत्यधिक कुशल	2.56	2.35	2.14

स्पष्टीकरण - अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,

1 (क) इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित क्षेत्र "क" और क्षेत्र "ख" में ऐसे क्षेत्रों के रूप में उक्त अनुबंध में विनिर्दिष्ट क्रमश: सभी स्थान शामिल होंगे तथा नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड या स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति से पंद्रह किलोमीटर तक की परिधि के सभी स्थान शामिल होंगे और क्षेत्र "ग" में अनुबंध के "क" और "ख" क्षेत्र में उल्लेख न किए गए ऐसे सभी स्थान शामिल होंगे जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए अथवा श्रेणी में उन्नयन किए गए स्थानों को भी इस मसौदा प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे परिवर्धन एवं उन्नयन की तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा ;

(ग) "ग" वर्ग श्रेणी में जहां न्यूनतम मजदूरी क्षेत्रवार आधार पर नियत की गई है और जहां केन्द्रीय सरकार ने शीतकालीन भत्ता या पर्वतीय भत्ता या किसी अन्य विशेष भत्ते का संदाय मंजूर किया है, सड़कों/रनवे के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं जिसमें भूमिगत, विद्युत, वायरलैस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और ऊपरी संचार केबलों को डालने या भूमिगत केबल डालने के कार्य, विद्युत लाइनें, जल आपूर्ति लाइनें और सीवरेज लाइन शामिल है, के अंतर्गत ऐसे ही कार्य में नियोजित कर्मचारियों को, उन्हें अधिसूचना द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त इस प्रकार नियत न्यूनतम मजदूरी के 10 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा :

बशर्ते कि ऐसे स्थानों में जो समुद्र तल से 6000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, वहां 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी संदत्त की जाएगी।

गगनचुम्बी इमारतों अर्थात् तीस फुट अथवा इससे अधिक ऊँची इमारतों में, एक दिन में एक घंटे के लिए भी नियोजित किये गये कर्मकारों को समुचित श्रेणी हेतु न्यूनतम मजदूरी से बीस प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।

(घ) सुरंग में कार्य करने वाले कर्मकारों को इस अधिसूचना के अधीन समुचित श्रेणी के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 20 प्रतिशत और भुगतान किया जाएगा।

(ड़) (क) **"अकुशल कार्य"** से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी साधारण क्रियाएं शामिल हैं जिनके लिए कार्य के संबंध में मामूली अथवा कोई कौशल अथवा अनुभव अपेक्षित न हो;

(ख) **"अर्द्ध-कुशल कार्य"** से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या दक्षता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है तथा इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य शामिल है;

(ग) **"कुशल कार्य"** से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से या शिक्षु के रूप में किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या दक्षता अपेक्षित है;

(घ) **"अत्यधिक कुशल कार्य"** से ऐसा कार्य जिनमें लिपिकीय कार्य शामिल है, अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबत किए जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है;

(च) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों, जिनके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम हैं वहां राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के संबंध में नियत की गयी मजदूरी दरें इस अधिसूचना के अंतर्गत देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समझी जायेंगी;

(छ) मजदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए देय मजदूरी भी शामिल है।

(ज) इस अधिसूचना के अंतर्गत नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं;

(झ) विकलांग कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित श्रेणी के कर्मकारों को देय दरों के समान ही होंगी;

(ञ) पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान दर पर मजदूरी प्राप्त करने के हकदार होंगे;

(ट) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अंतर्गत प्रवर्तनीय मजदूरी की न्यूनतम दरों में न्यूनतम मजदूरी दरें और परिवर्ती महंगाई भत्ता दोनों शामिल हैं।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यू सी (एम. डब्ल्यू.)]

पी.पी. मित्रा, प्रधान श्रम और रोजगार सलाहकार

उपाबंध

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र – "क"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबादकाम्पलैक्स	(एम.कोरपरेशन)
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाजियाबाद	(यूए)
दिल्ली	(यूए)	चैन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृह्त मुम्बई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकन्दराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गांव	(एम.कोरपरेशन)
नवीमुम्बई		पूणे	(यूए)		

क्षेत्र –"ख"

आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धरवाड	(एम.कोरपरेशन)	पुद्दुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौरा	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(एम.कोरपरेशन)	जयपुर	(एम.कोरपरेशन)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर- कैंट	(यूए)	साहारणपुर	(एम.कोरपरेशन)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सलेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	संगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिल्लिगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	शोलापुर	(एम.कोरपरेशन)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(एम.कोरपरेशन)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(यूए)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरूवनन्तपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	काल्लम	(यूए)	तिरूसूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(एम.कोरपरेशन)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझीकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(एम.कोरपरेशन)	उज्जैन	(एम.कोरपरेशन)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मालाप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वासाई-विरार सिटी	(एम.कोरपरेशन)
दुर्ग-भिलाईनगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
ईरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापट्टनम	(एम.कोरपरेशन)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(एम.कोरपरेशन)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मेसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नानडेड वाघाला	(एम.कोरपरेशन)		
बृहत विशाखापत्तनम	(एम.कोरपरेशन)	नासिक	(यूए)		
गुलवर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुन्टूर	(यूए)	पंचकूला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 -- क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है किन्तु जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्र अभिप्रेत है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2016

S.O. 2834(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(11 of 1948), the Central Government after consulting the Advisory Board hereby makes a draft proposal to revise the rates of wages payable to the employees engaged in the employment of Construction or Maintenance of Roads or Runways or in Building Operations including laying down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and similar other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage Pipe Linesas specified in the Schedule as mentioned hereinafter in the draft proposal in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), videnumber S.O. 1285 (E), dated the 20th May, 2009, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft proposal shall be taken into consideration after expiry of two months from the date on which copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Any objections or suggestions, which may be received from any person or organisation with respect to the said draft proposal within the time frame stipulated above, will be considered by the Central Government;

The objections and suggestions shall be addressed to the Secretary, Ministry of Labourand Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

Draft proposal

The revised minimum rates of wages shall consist of –

(a) basic rates of wages as set out in columns(2), (3) and (4) of Part I of the Schedulementioned hereunder; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) in columns (2),(3) and (4) of Part II of the Schedule and payable to the employees working in areas mentioned in columns(2), (3) and (4) of Parts - I and II thereof. The Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of every six months commencing on the 1st October and 1st April of every year on the basis of the average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 2001=100) for the preceding period of six months ending on the 30th June and the 31st December every year respectively, at the rate of and in the manner specified in the columns (2), (3) and (4) of Part II of the said Schedule.

SCHEDULE

Part –I: Basic Minimum Rates Wages

Category of Worker	**Minimum Rates of Basic wages per day (in Rupees)**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
	Area (A)	**Area (B)**	**Area (C)**
Unskilled Bajri Spreader, Beldar, Beater Women, Bell-Woman, Chain Man, Boat Man, Bucket Man, Carrier (Stone), Carrier (Water), Cartman, Caretaker (Bridge), Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit), Chowkidar, Concrete (Hand Mixer), Daffadar, Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule), Flag Man, Flagman (Blast Train), Gate Man, Gangmen, Gatingman (Permanent Way), Handle Man, Jumper Man,Kamin (Female Work), Khalas, Bridge, Electrical, Marine, Moplah, Store, Steam Road, Share, Roller Survey, labourer (Garden), Mazdoor, Hole Cutter, Lorry Trainees, Petrolman, Peon, Searcher, Signal man, Strikers, Striker (Moplah gang), Sweeper, Tall Boy, Tile Turner, Trolly man, Vaks Controller, Valveman, Watchman, White Washer, Wooderman, Wooder Woman, Borryman, Coalman, Condenser, Attendant, Grass Cutter, Muchhers Jamadars, Condenser Attendant,	**523**	**437**	**350**

Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	(M. Corpn)

Note 1.- Area 'C' shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.

Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

का.आ. 2835(अ).— केंद्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, संपूर्ण भारत में पत्थर की खानों में लगे कर्मचारी के लिए प्रति दिन मजदूरी की न्यूनतम मात्रानुपाती दर और न्यूनतम प्रत्याभूत कालानुपाती दर निश्चित करने के लिए प्रारूप प्रस्ताव में इसके पश्चात् यथावर्णित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का. आ. संख्यांक 278 (अ), तारीख 3 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रारूप प्रस्ताव बनाती है और उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप प्रस्ताव पर, उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, दो मास की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे किंहीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन से ऊपर नियत समय सीमा के भीतर प्राप्त होते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप और सुझाव, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप प्रस्ताव

पुनर्रीक्षित न्यूनतम कीमत दर मजदूरी और न्यूनतम प्रत्याभूत कालानुपाती दर, इस प्रारूप अधिसूचना से उपाबंध वर्णित सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने वर्णित कार्य में लगे कर्मचारियों के वर्गो को संदेय, उसके स्तंभ (3) में यथा उपवर्णित मजदूरी की आधारभूत दर और उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उपवर्णित दर पर विशेष भत्ते (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता कहा गया है) के रूप में होंगी। परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा प्रति वर्ष 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले प्रत्येक छह मास के अंतराल पर, प्रति वर्ष क्रमश: 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001 = 100) के आधार पर, नीचे अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर पर और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में समायोजित किया जाएगा।

सारणी

क्रम संख्यांक	कर्मचारी द्वारा किए गए मात्रानुपाती काम का स्वरूप	प्रस्तावित आधारभूत न्यूनतम दर	271, जो जनवरी-जून, 2016 की अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001 = 100) है, से अधिक या कम होने वाले प्रत्येक बिंदु (इकाई) के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	50 मीटर लैड/1.5 मीटर लिफ्ट वाले भारी बोझ का उत्खनन और उसे हटाया जाना*		

	(क) नरम मृदा	351	1.30
	(ख) चट्टान सहित नरम मृदा	531	1.96
	(ग) चट्टान	703	2.59
2	50 मीटर लैड/1.5 मीटर लिफ्ट वाले अगृहीत पत्थरों का हटाया जाना और उनका ढेर लगाना *	283	1.04
3	प्रवर्ग आकार के पत्थर तोड़ना या पत्थर का संदलन**		
	(क) 1.0 से 1.5 इंच	2171	8.02
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच तक	1857	6.86
	(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच तक	1088	4.01
	(घ) 5.0 इंच से अधिक	893	3.30

*प्रति 2.831 घन मीटर या 100 घन फुट

**5.662 घन मीटर या 200 घन फुट का प्रति ट्रक भार

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

1. मजदूरी की आधारभूत न्यूनतम दर में आराम के साप्ताहिक दिन के लिए मजदूरी भी सम्मिलित होंगी ।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होंगी ।

3. जहां किसी संविदा या करार पर या उससे अन्यथा आधारित पर किसी कर्मचारी की मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर है, वहां उच्चतर दरों को संरक्षित किया जाएगा और उन्हें ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लागू न्यूनतम दरों के रूप में माना जाएगा ।

4. मात्रानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मजदूरी, अर्थात् पुरानी मजदूरी दर वह होगी, जो कार्य के प्रत्येक प्रवर्ग के सामने सारणी के स्तंभ (3) के नीचे विनिर्दिष्ट है ।

5. नियोजक, विस्फोटको, डेटोनेटर, मिट्टी हटाने, जल रहित करने संबंधी प्रभारों आदि के मद्दे मजदूरी की पूर्वोक्त कीमत दर से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करेगा ।

6. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें वहीं होंगी, जो समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों को संदेय हैं ।

7. पुरूष, स्त्री और उभयलिंगी कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान मजदूरी दरें प्राप्त करेंगे ।

8. मजदूरी की न्यूनतम दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता दोनों को मिलाकर ऐसे न्यूनतम मजदूरी दर नियत की जाएगी, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन प्रर्वतनीय हों ।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

पी.पी. मित्रा, प्रधान श्रम और नियोजन सलाहकार

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

का.आ. 2836(अ).—केंद्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, झाड़न-बुहारन और सफाई के नियोजन में लगे कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1994(अ), तारीख 7 अगस्त, 2008 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रारूप प्रस्ताव बनाती है और उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप प्रस्ताव पर, उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, दो मास की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन से ऊपर नियत समय सीमा के भीतर प्राप्त होते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप और सुझाव, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप प्रस्ताव

मजदूरी की पुनर्रीक्षित न्यूनतम दरें –

(क) नीचे वर्णित अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (2) में यथा उपवर्णित आधारभूत दरों ; और

(ख) अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में एक विशेष भत्ते (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता कहा गया है) के रूप में होंगी और उसके भाग 1 और भाग 2 के स्तंभ (1) में वर्णित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को संदेय होंगी। परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा प्रति वर्ष 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले प्रत्येक छह मास के अंतराल पर, प्रति वर्ष क्रमश: 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001 = 100) के आधार पर, नीचे अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में समायोजित किया जाएगा।

अनुसूची

भाग -- 1 न्यूनतम मजदूरी की आधारभूत दरें

क्षेत्र	प्रति दिन न्यूनतम दरें (रुपए में)
(1)	(2)
क	523
ख	437
ग	350

भाग -- 2 परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें

क्षेत्र	271, जो जनवरी-जून, 2016 की अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001 = 100) है, से अधिक या कम होने वाले प्रत्येक बिंदु (इकाई) के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दर

क्षेत्र	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रुपए में)
(1)	(2)
क	1.93
ख	1.61
ग	1.29

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

1. इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा उपदर्शित क्षेत्र "क" और क्षेत्र "ख" में क्रमश: उक्त उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट सभी स्थान समाविष्ट होंगे और नगर निगम या नगर पालिका या छावनी बोर्ड या किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी के भीतर के सभी स्थान सम्मिलित होंगे। क्षेत्र "ग" में ऐसे सभी अन्य स्थान समाविष्ट होंगे, जो उपाबंध के क्षेत्र "क" और क्षेत्र "ख" में वर्णित नहीं है और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू होता है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह किराए भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए या उन्नयन किए गए स्थानों को ऐसे जोड़े जाने या उन्नयन की तारीख से इस प्रारूप प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए जोड़ा जाएगा।
2. जहां किसी संविदा या करार पर या उससे अन्यथा आधारित किसी कर्मचारी की मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां उच्चतर दरों को संरक्षित किया जाएगा और उन्हें ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लागू न्यूनतम दरों के रूप में माना जाएगा।
3. मजदूरी की न्यूनतम दरों में आराम के साप्ताहिक दिन की मजदूरी भी सम्मिलित होंगी।
4. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होंगी।
5. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें वहीं होंगी, जो समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों को संदेय हैं।
6. पुरूष, स्त्री और उभयलिंगी कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान मजदूरी दरें प्राप्त करेंगे।
7. मजदूरी की न्यूनतम दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता दोनों को मिलाकर ऐसे न्यूनतम मजदूरी दर नियत की जाएगी, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन प्रर्वतनीय हों।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यू.सी. (एम.डब्ल्यू.)]

पी. पी. मित्रा, प्रधान श्रम और नियोजन सलाहकार

उपाबंध

क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्षेत्र – "क"					
अहमदाबाद	(न.ब.)	हैदराबाद	(न.ब.)	फरीदाबाद परिसर	(न.निगम)
बैंगलूरू	(न.ब.)	कानपुर	(न.ब.)	गाजियाबाद	(न.ब.)
दिल्ली	(न.ब.)	चैन्नई	(न.ब.)	नोएडा	
बृहत्तर मुंबई	(न.ब.)	नागपुर	(न.ब.)	सिकंदराबाद	
कोलकाता	(न.ब.)	लखनऊ	(न.ब.)	गुड़गांव	(न.निगम)
नवी मुंबई	(न.ब.)	पुणे	(न.ब.)		

क्षेत्र – "ख"					
आगरा	(न.ब.)	ग्वालियर	(न.ब.)	पोर्ट ब्लेयर	(न.ब.)
अजमेर	(न.ब.)	हुबली-धारवाड़	(न.निगम)	पुडुचेरी	(न.ब.)
अलीगढ़	(न.ब.)	इंदौर	(न.ब.)	रायपुर	(न.ब.)
इलाहाबाद	(न.ब.)	जबलपुर	(न.ब.)	राऊरकेला	(न.ब.)
अमरावती	(न.निगम)	जयपुर	(न.निगम)	राजकोट	(न.ब.)
अमृतसर	(न.ब.)	जालंधर	(न.ब.)	रांची	(न.ब.)
आसनसोल	(न.ब.)	जालंधर-कैंट	(न.ब.)	सहारनपुर	(न.निगम)
औरंगाबाद	(न.ब.)	जम्मू	(न.ब.)	सलेम	(न.ब.)
बरेली	(न.ब.)	जामनगर	(न.ब.)	सांगली	(न.ब.)
बेलगाम	(न.ब.)	जमशेदपुर	(न.ब.)	शिलॉंग	
भावनगर	(न.ब.)	झांसी	(न.ब.)	सिलीगुड़ी	(न.ब.)
भिवंडी	(न.ब.)	जोधपुर	(न.ब.)	शोलापुर	(न.निगम)
भोपाल	(न.ब.)	कन्नूर	(न.ब.)	श्रीनगर	(न.ब.)
भुवनेश्वर	(न.ब.)	कोच्चि	(न.ब.)	सूरत	(न.ब.)
बीकानेर	(न.निगम)	कोल्हापुर	(न.ब.)	तिरुवनन्तपुरम	(न.ब.)
बोकारो स्टील सिटी	(न.ब.)	कोल्लम	(न.ब.)	त्रिशूर	(न.ब.)
चंडीगढ़	(न.ब.)	कोटा	(न.निगम)	तिरुचिरापल्ली	(न.ब.)
कोयंबटूर	(न.ब.)	कोझीकोड	(न.ब.)	तिरूपुर	(न.ब.)
कटक	(न.ब.)	लुधियाना	(न.निगम)	उज्जैन	(न.निगम)
देहरादून	(न.ब.)	मदुरै	(न.ब.)	वडोदरा	(न.ब.)
धनबाद	(न.ब.)	मलप्पुरम	(न.ब.)	वाराणसी	(न.ब.)
दुर्गापुर	(न.ब.)	मालेगांव	(न.ब.)	वसई-विरार शहर	(न.निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(न.ब.)	मंगलौर	(न.ब.)	विजयवाड़ा	(न.ब.)
इरोड़	(न.ब.)	मेरठ	(न.ब.)	विशाखापट्टनम	(न.निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(न.निगम)	वारंगल	(न.ब.)
गोवा		मैसूर	(न.ब.)		
गोरखपुर	(न.ब.)	नांदेड वाघाला	(न.निगम)		
बृहत्तर विशाखापट्टनम	(न.निगम)	नासिक	(न.ब.)		
गुलबर्गा	(न.ब.)	नल्लौर	(न.ब.)		
गंटूर	(न.ब.)	पंचकुला	(न.ब.)		
गुवाहाटी	(न.ब.)	पटना	(न.ब.)		

क्षेत्र – "ग" में वे सभी क्षेत्र अंतर्विष्ट हैं, जो इस सूची में वर्णित नहीं हैं, किंतु जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

टिप्पण : न.ब. का अर्थ नगर बस्तियां है।

Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corpn)	Ujjain	(M.Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)		
Gorakhpur	(UA)	Nanded Waghala	(M. Corpn)		
Greater Visakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)		
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)		
Guntur	(UA)	Panchkula	(UA)		
Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		

Note 1.- Area 'C' shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.
Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

का.आ. 2837(अ).— केंद्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड के परामर्श से इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित प्रारूप प्रस्ताव में वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट और 'वाच एंड वार्ड' नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरियों की दर को, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2233(अ), तारीख 18 सितंबर, 2008 तथा अधिसूचना सं. का.आ. 2288(अ), तारीख 18 सितंबर, 2012 को सिवाय उन बातों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों को, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप प्रस्ताव पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

किसी व्यक्ति या संगठन से उक्त प्रारूप प्रस्ताव के संबंध में पूर्वोक्त अनुबंधित समय-सीमा के भीतर प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेपों या सुझावों को सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।

प्रारूप प्रस्ताव

मजदूरियों की न्यूनतम पुनरीक्षित दर में—

(क) इसमें इसके पश्चात् वर्णित अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (2) में यथा अधिकथित मजदूरियों की आधारी दरें, और

(ख) अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में एक विशेष भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कहा गया है), जो उसके भाग 1 और भाग 2 के स्तंभ (1) में वर्णित क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को संदेय है, सम्मिलित होंगे। परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक छह मास के अंतराल पर औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के आधार पर (आधार

2001 = 100) प्रत्येक वर्ष के 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए नीचे दी गई अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में क्रमश: विनिर्दिष्ट रीति और दर पर समायोजित किया जाएगा :

अनुसूची

भाग 1 मजदूरियों की आधारी दरें

क्षेत्र	**दैनिक मजदूरी (रुपए में)**
साधारण/अर्ध-कुशल	
क	579
ख	494
ग	410
नि:शस्त्र (कुशल)	
क	637
ख	579
ग	494
सशस्त्र (अत्याधिक कुशल)	
क	693
ख	637
ग	579

भाग 2 परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें

क्षेत्र	**271, जो जनवरी-जून, 2016 की अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों (आधार 2001 = 100) के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत है, से परे बढने वाले या कम होने वाले प्रत्येक बिन्दु के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर**
क्षेत्र	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (रुपए में)
साधारण/अर्ध-कुशल	
क	2.14
ख	1.82
ग	1.51
नि:शस्त्र (कुशल)	
क	2.35
ख	2.14
ग	1.82
सशस्त्र (अत्याधिक कुशल)	
क	2.56
ख	2.35
ग	2.14

स्पष्टीकरण-- अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

(क) इस अधिसूचना के उपाबंध में क्रमश: यथा उपदर्शित क्षेत्र “अ” और क्षेत्र “आ” में उक्त उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट सभी स्थान समाविष्ट होंगे और नगर निगम या नगर पालिका या छावनी बोर्ड या किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी स्थान सम्मिलित होंगे। क्षेत्र “इ” में ऐसे सभी स्थान सम्मिलित होंगे, जो उपाबंध के क्षेत्र “अ” और क्षेत्र “आ” में वर्णित नहीं है और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का विस्तार होता है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह किराए भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए या उन्नयन किए गए स्थानों को ऐसे वर्धन या उन्नयन की तारीख से इस प्रारूप प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए जोड़ा जाएगा।

(ख) जहां, किसी कर्मचारी के लिए किसी संविदा या करार या अन्यथा के आधार मजदूरियों की विद्यमान दर पर इसमें अधिसूचित दरों से अधिक है तो वहां उच्चतर दरों को संरक्षित किया जाएगा और उन्हें ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लागू न्यूनतम दर के रूप में माना जाएगा।

(ग) (क) “अर्ध-कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से अर्जित कुछ कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है और जो किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए सक्षम है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यावेक्षणीय कार्य भी है।

(ख) “कुशल कार्य” से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है और ऐसा कार्यपालन जिसमें पहल और निर्णय के लिए आवश्यकता होती है।

(ग) “अत्यधिक कुशल कार्य” से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें पूर्णता की कोई डिग्री और कतिपय कार्यों के कार्य निष्पादन पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है जिसके अंतर्गत गहन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय युक्तियुक्त अवधि के लिए व्यवहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित लिपिकीय कार्य है और किसी कर्मकार से इन कार्यों के निष्पादन में अंतर्वलित कोई निर्णय या विनिश्चय के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व को संभालने की भी अपेक्षा है।

(घ) मजदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक आराम के दिन की मजदूरी भी सम्मिलित होगी।

(ङ) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।

(च) नि:शक्त व्यक्तियों की मजदूरी की न्यूनतम दरें वहीं होंगी, जो समुचित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है।

(छ) स्त्री, पुरूष और उभयलिंगी कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए, जिसके लिए उन्हें नियोजित किया जाता है, मजदूरी की समान दरों के लिए हकदार होंगे।

(ज) मजदूरी की न्यूनतम दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दोनों से मिलकर न्यूनतम मजदूरी की दर बनेगी जिसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन लागू किया जाएगा।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

पी. पी. मित्रा, प्रधान श्रम और नियोजन सलाहकार

उपाबंध

क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्षेत्र " -अ"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलेक्स	(नगर निगम)
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	(यूए)
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत्त मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	(नगर निगम)

नवी मुंबई	(यूए)	पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "आ"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर 1 (यूए)		पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-छावनी	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवंतपुरम्	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)

गोवा		मैसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)		
बृहत्त विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)		
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुंटूर	(यूए)	पंचकुला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 : क्षेत्र "इ" ऐसे सभी क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, जो इस सूची में वर्णित नहीं है किंतु जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी समूह अभिप्रेत है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2016

S.O. 2837(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government after consulting the Advisory Board hereby proposes to revise the rate of wages as specified in the Schedule as mentioned hereinafter in the draft proposal and payable to the employees engaged in Employment of Watch and Ward in supersession of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide numbers S.O. 2233(E), dated the 18th September, 2008 and S.O. 2288(E), dated the 18th September, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and notice is hereby given to all persons likely to be affected thereby that the said draft proposal shall be taken into consideration after expiry of two months from the date on which copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Any objections or suggestions, which may be received from any person or organisation with respect to the said draft proposal within the time frame stipulated above, shall be considered by the Central Government;

The objections and suggestions shall be addressed to Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

Draft proposal

The revised minimum rates of wages shall consist of –

(a) basic rates of wages as set out in column (2) of Part I of the Schedule mentioned hereunder; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) in column (2) of Part II of the Schedule and payable to the employees working in areas mentioned in column (1) of Parts I and II thereof. The Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of every six months commencing on the 1st October and 1st April of every year on the basis of the average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 2001=100) for the preceding period of six months ending on the 30th June and the 31st December every year respectively at the rate of and in the manner specified in the column (2) of Part II of the Schedule as below:

Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M.Corpn)	Jaipur	(M.Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M.Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M.Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneshwar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M.Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvanantapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M.Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corpn)	Ujjain	(M.Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)		
Gorakhpur	(UA)	Nanded Waghala	(M. Corpn)		
Greater Visakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)		
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)		
Guntur	(UA)	Panchkula	(UA)		
Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		

Note 1.- Area 'C' shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.
Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

का.आ. 2838(अ).—केंद्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड के परामर्श से इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित प्रारूप प्रस्ताव में वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट और 'वाच एंड वार्ड' नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरियों की दर को, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2233(अ), तारीख 18 सितंबर, 2008 तथा अधिसूचना सं. का.आ. 2288(अ), तारीख 18 सितंबर, 2012 को सिवाय उन बातों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों को, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप प्रस्ताव पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

किसी व्यक्ति या संगठन से उक्त प्रारूप प्रस्ताव के संबंध में पूर्वोक्त अनुबंधित समय-सीमा के भीतर प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आक्षेपों या सुझावों को सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है ।

प्रारूप प्रस्ताव

मजदूरियों की न्यूनतम पुनरीक्षित दर में—

(क) इसमें इसके पश्चात् वर्णित अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (2) में यथा अधिकथित मजदूरियों की आधारी दरें, और

(ख) अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में एक विशेष भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कहा गया है), जो उसके भाग 1 और भाग 2 के स्तंभ (1) में वर्णित क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को संदेय है, सम्मिलित होंगे । परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक छह मास के अंतराल पर औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के आधार पर (आधार 2001 = 100) प्रत्येक वर्ष के 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए नीचे दी गई अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में क्रमश: विनिर्दिष्ट रीति और दर पर समायोजित किया जाएगा :

अनुसूची

भाग -- 1 न्यूनतम मजदूरी की आधारभूत दरें

क्षेत्र	प्रति दिन न्यूनतम दरें (रुपए में)
(1)	(2)
क	523
ख	437
ग	350

भाग -- 2 परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें

क्षेत्र	271, जो जनवरी-जून, 2016 की अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001 = 100) है, से अधिक या कम होने वाले प्रत्येक बिंदु (इकाई) के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दर
क्षेत्र	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रुपए में)
(1)	(2)
क	1.93
ख	1.61
ग	1.29

स्पष्टीकरण-- अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

(क) इस अधिसूचना के उपाबंध में क्रमश: यथा उपदर्शित क्षेत्र "अ" और क्षेत्र "आ" में उक्त उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट सभी स्थान समाविष्ट होंगे और नगर निगम या नगर पालिका या छावनी बोर्ड या किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी स्थान सम्मिलित होंगे। क्षेत्र "इ" में ऐसे सभी स्थान सम्मिलित होंगे, जो उपाबंध के क्षेत्र "अ" और क्षेत्र "आ" में वर्णित नहीं है और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का विस्तार होता है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह किराए भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए या उन्नयन किए गए स्थानों को ऐसे वर्धन या उन्नयन की तारीख से इस प्रारूप प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए जोड़ा जाएगा।

(ख) जहां, किसी कर्मचारी के लिए किसी संविदा या करार या अन्यथा के आधार मजदूरियों की विद्यमान दर पर इसमें अधिसूचित दरों से अधिक है तो वहां उच्चतर दरों को संरक्षित किया जाएगा और उन्हें ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लागू न्यूनतम दर के रूप में माना जाएगा।

(ग) (क) "अर्ध-कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से अर्जित कुछ कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है और जो किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए सक्षम है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यावेक्षणीय कार्य भी है।

(ख) "कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है और ऐसा कार्यपालन जिसमें पहल और निर्णय के लिए आवश्यकता होती है।

(ग) "अत्यधिक कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें पूर्णता की कोई डिग्री और कतिपय कार्यों के कार्य निष्पादन पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है जिसके अंतर्गत गहन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय युक्तियुक्त अवधि के लिए व्यवहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित लिपिकीय कार्य है और किसी कर्मकार से इन कार्यों के निष्पादन में अंतर्वलित कोई निर्णय या विनिश्चय के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व को संभालने की भी अपेक्षा है।

(घ) मजदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक आराम के दिन की मजदूरी भी सम्मिलित होगी।

(ङ) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।

(च) नि:शक्त व्यक्तियों की मजदूरी की न्यूनतम दरें वहीं होंगी, जो समुचित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है।

(छ) स्त्री, पुरूष और उभयलिंगी कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए, जिसके लिए उन्हें नियोजित किया जाता है, मजदूरी की समान दरों के लिए हकदार होंगे।

(ज) मजदूरी की न्यूनतम दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दोनों से मिलकर न्यूनतम मजदूरी की दर बनेगी जिसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन लागू किया जाएगा।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

पी. पी. मित्रा, प्रधान श्रम और नियोजन सलाहकार

उपाबंध

क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्षेत्र " -अ"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलेक्स	(नगर निगम)
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	(यूए)

दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत्त मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	(नगर निगम)
नवी मुंबई	(यूए)	पुणे	(यूए)		
		क्षेत्र - "आ"			
आगरा	(यूए)	ग्वालियर 1 (यूए)		पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-छावनी	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवंतपुरम्	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)

दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)		
बृहत्त विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)		
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुंटूर	(यूए)	पंचकुला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 : क्षेत्र "इ" ऐसे सभी क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, जो इस सूची में वर्णित नहीं है किंतु जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी समूह अभिप्रेत है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2016

S.O. 2838(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(11 of 1948), the Central Government after consulting the Advisory Board hereby proposes to revise the rate of wages as specified in the Schedule as mentioned hereinafter in the draft proposal and payable to the employees engaged in the Scheduled employment of Loading and Unloading in (i) Goods-Sheds, Parcel Offices of Railways; (ii) Other Goods-sheds, Godowns, Warehouses and other employments; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passenger Goods and Cargo carried out at Airports (Both International and Domestic) in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1284(E), dated the 20th May, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and notice is hereby given to all persons likely to be affected thereby that the said draft proposal shall be taken into consideration after expiry of two months from the date on which copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Any objections or suggestions, which may be received from any person or organisation with respect to the said draft proposal within the time frame stipulated above, will be considered by the Central Government;

The objections and suggestions shall be addressed to Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

Draft proposal

The revised minimum rates of wages shall consist of –

(a) basic rates of wages as set out in column (2) of Part I of the Schedule mentioned hereunder; and

Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	(M.Corpn)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	(UA)
Note 1.- Area 'C' shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends. **Note 2.-** U.A. means Urban Agglomeration.					

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितंबर, 2016

का.आ. 2839(अ).—केंद्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय का.आ. 2092, तारीख 23 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करने के अपने आशय की सूचना देती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, "रेल, माल-शेड़ों, डॉकों और पत्तनों" शब्दों के स्थान पर, "रेल, माल-शेड़ों, डॉकों, पत्तनों और विमानपत्तनों (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों) में लदाई और उतराई में नियोजन" शब्द रखे जाएंगे ।

2. कोई आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व प्राप्त होंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. आपत्तियां और सुझाव सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 को भेजे जाएंगे ।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

पी. पी. मित्रा, प्रधान श्रम और नियोजन सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2016

S.O. 2839(E)—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Minimum Wages Act, 1948(11 of 1948), the Central Government hereby gives notice of its intention to make the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Labour and Employment, S.O.2092 , dated the 23rd April, 1983, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, for the words "the employment in loading and unloading in Railways, goods sheds, docks and ports", the words "the employment in loading and unloading in Railways, goods-sheds, docks, ports and airports (both International and Domestic)" shall be substituted.

2. Any objection or suggestion which will be received from any person in respect of the said amendment on or before the expiry of a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, will be considered by the Central Government.

3. Such objections and suggestions shall be addressed to Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

[F. No. S-32017/1/2016-WC (MW)]

P. P. MITRA, Principal Labour and Employment Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.